राजस्व वाद संख्याः– 63/2022
राजेन्द्र वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांकः– 16.05.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– **श्रीमती सुमन देवी ।।(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 63/2022

01. राजेंद्र उर्फ राजकुमार पुत्र स्व० श्री मदनलाल उम्र 48 की जाति कुम्हार निवासी सूरजगढ़
02. शांति देवी पत्नी श्री छोटेलाल पुत्री स्व० श्री मदनलाल उम्र 61 की जाति कुम्हार निवासी सूरजगढ़
    1/1. महेन्द्र पुत्र शांति देवी पुत्र स्व0 छोटुराम जाति कुम्हार निवासी बिगोदना तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
    1/2. विद्या देवी पुत्री स्व0 शांति देवी पत्नी झंडुराम जाति कुम्हार निवासी बुडाना तहसील बगड जिला झुन्झुनू राजस्थान
    1/3. कैलाश चन्द्र पुत्र स्व0 शांति देवी पुत्र स्व0 छोटुराम जाति कुम्हार निवासी बुडाना तहसील बगड़ जिला झुन्झुनू।
03. लाडो देवी पत्नी श्री हरिराम पुत्री स्व० श्री मदनलाल उम्र 52 की जाति कुम्हार निवासी सूरजगढ।
04. संतरा देवी पत्नी श्री रोहिताश पुत्री स्व० श्री मदनलाल उम्र 42 जाति कुम्हार निवासी सूरजगढ़ ।

बनाम

01. औमप्रकाश उर्फ गीगराज पुत्र स्व० श्री मदनलाल उम्र 35 जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं० 20 कुम्हारों का मोहल्ला शहीद मूर्ति लुहारू रोड़ के पास सूरजगढ़
02. श्रीमती गिनड़ी देवी पत्नी श्री गुरुदयाल उम्र 52 को जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का वास तम् भापर तहसील
03. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल उम्र 40 जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं० 19 सुरजगढ
04. रोहिताश्व कुमार पुत्र श्री रामजीलाल उम्र 34 को जाति जाट निवासी वार्ड नं० 18 सूरजगढ
05. लैण्ड रेवेन्यू अधिकारी, नायब तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादीगण अधिवक्ता

वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

निर्णय

वादी ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती हेतु वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाके ग्राम सूरजगढ़ में कृषि भूमि स्थित हैं, जिसके खसरा नम्बर 9 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 14 रकबा 1.12 है0, खसरा संख्या 21 रकबा 0.90 है0, खसरा संख्या 149 रकबा 0.37 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.29 है0 स्थित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित जमीन के खातेदार काश्तकार स्व० मदनलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी सुरजगढ थे, जो वादीगण नं० 1,2,3, व 4 तथा प्रतिवादी नं. 01 के पिता थे, जिनका देहान्त कस्बा सूरजगढ़ में करीब 10 वर्ष पूर्व हो गया था। मदनलाल की पत्नी का नाम जीवणी देवी था, जिनका देहान्त मदनलाल की मृत्यु से पूर्व हो गया था।

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि स्व० मदनलाल के खातेदारी की जमीन है, जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्र व 3 पुत्रीयो का बराबर बराबर हिस्सा हैं, इस प्रकार वादी नं0 01 लगायत 4 व

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 63/2022
राजेन्द्र वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांकः– 16.05.2025

प्रतिवादी नं. 01 प्रत्येक 1/5 के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर इसी प्रकार काबिज हैं व काश्तकार रहे हैं।

यह कि यह कि योग्य नायब तहसीलदार सुरजगद ने मदनलाल की मृत्यु के पश्चात् बिना कोई इन्कवायरी किये व कानून के सिद्धांतो की पालना किये बिना मदनलाल के स्थान पर मदनलाल के दोनो पुत्र गीगराज व राजेंद्र का नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित कर दिया, जो नामान्तकरण आदेश दिनांक 11–5–2004 व नामान्तकरण संख्या 657 है।

यह कि गीगराज नाम का मदनलाल का कोई लड़का नहीं है। मदनलाल के 2 लड़के हैं, छोटे लडके का नाम ओमप्रकाश व इसी औमप्रकाश को गीगराज भी कहते हैं। ओमप्रकाश ने गीगराज बनकर विवादित जमीन खसरा नम्बर 14 रकबा 1.12 हेक्टर जमीन में से 1/2 हिस्से की जमीन का विक्रय पत्र प्रतिवादी नं० 2 के हक में दिनांक 11–5–04 को तसदीक करवा दिया, जो नल एण्ड वोईड हैं तथा वादीगण के अधिकारो के खिलाफ बेअसर हैं।

यह कि योग्य नायब तहसीलदार सूरजगढ़ के नामान्तकरण आदेश दिनांक 11–5–04 व नामान्तरकरण संख्या 657 के विरूद्ध अपील न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष पेश की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 2–11–04 को हुआ हैं, जो अपील संख्या 37/04 उनवानी राजेंद्र वगैरह बनाम औमप्रकाश वगैरह हैं। उक्त अपील का निर्णय करने से पूर्व जिला कलक्टर ने नायब तहसीलदार से सजरा रिपोर्ट मंगवाई गई थी, उक्त रिपोर्ट के अनुसार भी मदनलाल के 2 पुत्र व 3 पुत्रीयां हैं वारिसान होना पाया गया हैं। सजरा रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 657 नायब तस्तीलदार सूरजगढ़ का आदेश दिनांक 11–5–04 निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण नायब तहसीलदार उप तहसील सूरजगढ़ को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वारिसान की जाँच कर पुनः नामांतकरण बाबत नियमानुसार निर्णय पारित किया जायें। लेकिन योग्य तहसीलदार ने इस निर्णय की पालना आज तक नहीं की हैं और नामांतरकरण आदेश दिनांक 11–5–04 नामांतकरण संख्या 657 को जमा बंदी में निरस्त नही किया गया है।

यह कि नामांतकरण आदेश दिनांक 11–5–04 व नामान्तकरण संख्या 657 का फायदा उठाकर प्रतिवादी नं0 01 ने भूमि खसरा नं० 149 रकबा 0.37 हैक्टर जमीन में से 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–4–07 को प्रतिवादी नं० 3 के हक में तसदीक करवा दिया, जो नल एण्ड वोर्डड हैं तथा जिला कलक्टर झुन्झुनू के आदेश दिनांक 2–11–04 के विरूद्ध हैं। उक्त विक्रय–पत्र वादीगण के अधिकारो के खिलाफ बेअसर हैं।

यह कि मुकदमे में पेचीदगिया उत्पन्न करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 मे नरेंद्र कुमार नें भूमि खसरा नं० 149 रकबा 0.37 हेक्टर जमीन का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 04 के हक में दिनांक 1–11–07 को तसदीक करवा दिया उक्त विक्रय पत्र भी नल एण्ड वोईड हैं तथा वादीगण के अधिकारो के खिलाफ बेअसर है।

यह कि प्रतिवादी नं0 01 ने रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 11–5–04 जो गिनड़ी देवी के पक्ष में तसदीक करवाया था, उसका नामांतकरण दिनांक 31–5–04 नामांतकरण संख्या 662 किया गया था, उसकी भी अपील जिला कलेक्टर के समक्ष की गई थी, जो 36/04 हैं, जिसका निर्णय दिनांक 2–11–04 को हुआ हैं, उक्त अपील स्वीकार करते हुये नामांतकरण संख्या 662 दिनांक 31–5–4 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश को भी नायव तहसीलदार सूरजगढ़ ने जान बूझकर कार्यान्वित नही किया है, इस प्रकार नायब तहसीलदार सूरजगढ ने जान बुझकर माननीय जिला कलेक्टर झुन्झुनू के आदेशों की अवहेलना की हैं, इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायोचित हैं।

यह कि जिला कलेक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 2–11–04 अपील संख्या 37/04 व 36/04 के अनुसार विक्रय–पत्र दिनांक 11–5–04 व 16–4–07 व 1–11–07 नल एण्ड वोईड है तथा वादीगण के अधिकारो के खिलाफ बेअसर है तथा नायब तहसीलदार ने जान बूझकर न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की हैं, इसलिए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही किया जाना न्यायोचित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 63/2022
राजेन्द्र वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांकः– 16.05.2025

यह कि स्व० मदनलाल की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में उसके पाँचो वारिसान का 1/5–1/5 हिस्सा है, इस सम्बन्ध में न्यायालय जिला कलेक्टर का भी निर्णय हो चूका है, जो अंतिम निर्णय है जिसके खिलाफ कोई अपील या रिवीजन प्रस्तुत नहीं हुई हैं, इसलिए प्रतिवादी नं0 01 ने अपना 1/2 हिस्सा मानकर जमीन जो विक्रय की है, वह गलत फर्जी एवं शुन्य है, जिसका शुन्य घोषित किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद–बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी गण डिक्री फरमाया जाकर सिद्धीया इस प्रकार प्रदान की जावे एवं घोषणा की जावें कि जमीन खसरा नं0 09 रकबा 0.9 हेक्टर खसरा नं0 14 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नं0 21 रकबा 0.9 हेक्टर, खसरा नं0 149 रकबा 0.37 हैक्टर जो कस्बा सूरजगढ़ की सरहद में स्थित हैं, का वादीगण 01 लगायत 4 व प्रतिवादी नं0 01 की संयुक्त खातेदारी की घोषित की जाकर प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्त दावा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर से प्राप्त होने पर दर्ज की गयी । उभयपक्ष को न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होने को पांबद किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नही आया । प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर वकील वादी ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गयी । बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन बाद मुताबिक अनुतोष वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

जमीन खसरा नं0 09 रकबा 0.9 हेक्टर खसरा नं0 14 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नं0 21 रकबा 0.9 हेक्टर, खसरा नं0 149 रकबा 0.37 हैक्टर जो कस्बा सूरजगढ़ की सरहद में स्थित हैं, का वादीगण 01 लगायत 4 व प्रतिवादी नं0 01 की संयुक्त खातेदारी की घोषित की जाकर प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2025......... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 63/2022
राजेन्द्र वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांकः– 16.05.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः–
श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 63/2022

राजेन्द्र वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
दावा बाबत, रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणार्थ एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 16/05/2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

अतः वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि जमीन खसरा नं0 09 रकबा 0.9 हेक्टर खसरा नं0 14 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नं0 21 रकबा 0.9 हेक्टर, खसरा नं0 149 रकबा 0.37 हैक्टर जो कस्बा सूरजगढ़ की सरहद में स्थित हैं, का वादीगण 01 लगायत 4 व प्रतिवादी नं0 01 की संयुक्त खातेदारी की घोषित की जाकर प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2025..... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़